न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–   /2026

सरकार बनाम संजीव कुमार आदि।

मु0अ0सं0–298/2026

धारा–308(5),115(2),352,351(2) बी0एन0एस0

थाना–कोतवाली जिला–बरेली।

दिनांकः 21.07.2026

1. अभियुक्त जगमोहन सिंह की ओर से आपराधिक मु0अ0सं0–298/26 धारा–308(5),115(2),352,351(2) बी0एन0एस0 थाना–कोतवाली जिला बरेली के मामले में यह जमानत प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादी को मृत्यु का भय दिखाकर रूपयों की रंगदारी लेने का आक्षेप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गैर जमानती एंव गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले की प्रकृति एंव परिस्थिति को देखते हुये जमानत हेतु आधार पर्याप्त नही हैं।

आदेश

अभियुक्त जगमोहन सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–298/26 धारा–308(5),115(2),352,351(2) बी0एन0एस0 थाना–कोतवाली जिला बरेली के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(अभिनव श्रीवास्तव)
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बरेली।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2489